

प्रेषक,

अरुण प्रकाश,
विशेष सचिव,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी,
उ०प्र० राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण,
उ०प्र०, लखनऊ।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ: दिनांक: 21-08-2026

विषय: उ०प्र० राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण में डिजिटल कन्टेन्ट क्रिएशन सेल के अन्तर्गत ग्राफिक डिजायनर एण्ड वीडियो एडिटर के माह अप्रैल, 2026 से जून, 2026 के 03 माह के पारिश्रमिक भुगतान हेतु बजट आवंटित किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र सं०-721/का०अनु०/2026-27, दिनांक 07.08.2026 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके माध्यम से उ०प्र० राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण में डिजिटल कन्टेन्ट क्रिएशन सेल के अन्तर्गत सेवारत रहे ग्राफिक डिजायनर एण्ड वीडियो एडिटर के माह अप्रैल, 2026 से जून, 2026 के 03 माह के पारिश्रमिक भुगतान हेतु बजट आवंटित किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2- अतः उक्त के संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अप्रेजल समिति की बैठक दिनांक 14.05.2026 में प्राप्त संसृति के क्रम में राज्य कार्यकारिणी समिति की बैठक दिनांक 01-07-2026 में प्राप्त अनुमोदन के दृष्टिगत उ०प्र० राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण में डिजिटल कन्टेन्ट क्रिएशन सेल (ग्राफिक डिजायनर एण्ड वीडियो एडिटर) परियोजना को आगामी 03 माह तक (दिनांक 01.04.2026 से 30.06.2026) विस्तारित किए जाने के क्रम में प्रश्नगत परियोजना के अन्तर्गत ग्राफिक डिजायनर एवं वीडियो एडिटर के पारिश्रमिक के भुगतान हेतु धनराशि ₹0 2,57,712/- की वित्तीय वर्ष 2026-27 में राज्य आपदा मोचक निधि की कैपेसिटी बिल्डिंग मद से प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, उ०प्र० राज्य आपदा प्रबन्धन प्राधिकरण के निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है:-

नियम व शर्तें/प्रतिबंध-

(1) राज्य आपदा मोचक निधि की उक्त धनराशि का उपयोग गृह मंत्रालय (आपदा प्रबन्धन प्रभाग), भारत सरकार के पत्र संख्या-33-02/2020-NDMA-1, दिनांक 22.04.2022 द्वारा निर्गत गाइडलाइन के अनुसार किया जायेगा। उOप्रO राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि गाइडलाइन के किन्हीं निर्देशों का उल्लंघन न होने पाये।

(2) राज्य आपदा मोचक निधि के क्षमता निर्माण मद से स्वीकृत धनराशि का उपभोग वित्तीय नियमों के अनुसार तथा वित्तीय हस्त-पुस्तिका/बजट मैनुअल के अनुसार किया जायेगा।

(3) जिस मद में धनराशि स्वीकृति की जा रही है, उसी मद में इस धनराशि का उपयोग किया जायेगा, किसी अन्य मद में धनराशि का डायवर्जन नहीं किया जायेगा।

(4) राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा।

(5) क्षमता निर्माण मद से निर्गत की जा रही धनराशि का उपयोग मानदेय/वेतन/ईधन/मरम्मत/अनुरक्षण में नहीं किया जायेगा एवं धनराशि के ऑडिट का दायित्व उOप्रO राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का होगा।

(6) समस्त धनराशि का उपभोग दिनांक 31.03.2027 से पूर्व कर लिया जायेगा। यदि धनराशि अवशेष बचती है, तो नियमानुसार दिनांक 31.03.2027 के पूर्व समर्पित कर दी जायेगी।

(7) उक्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र वित्तीय हस्त-पुस्तिका खण्ड-5, भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को तुरन्त उपलब्ध कराया जायेगा।

(8) व्यय की गयी धनराशि महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाये और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाये।

(9) राज्य आपदा मोचक निधि के सबध में समय-समय पर गृह मंत्रालय, भारत सरकार एवं एनडीएमए द्वारा जो भी दिशा-निर्देश/गाइडलाइन निर्गत किये गये हैं अथवा किये जायेंगे के अनुसार उक्त धनराशि का उपभोग की कार्यवाही समयबद्धरूप से सुनिश्चित की जायेगी।

3- इस सम्बन्ध में होने वाला व्यय **रु0 2,57,712/-** (रूपये दो लाख सत्तावन हजार सात सौ बारह मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2026-2027 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या 051 लेखा शीर्षक 2245-05-800-06-11 स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से सामान्य व्यय-42 अन्य व्यय के नामे डाला जायेगा।

4 - यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-

1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक 28 मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,
Digitally signed by
ARUN PRAKASH
Date: 21-08-2026
17:23:16
(अरुण प्रकाश)

विशेष सचिव।

संख्या:-997(1)/एक-10-2026, तददिनांक।

प्रतिलिपि-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार प्रथम/आडिट प्रथम, उ०प्र०, प्रयागराज।
- 2- राहत आयुक्त, उ०प्र०, लखनऊ।
- 3- विशेष सचिव/नोडल अधिकारी, बजट आवंटन (ई-बजट), राजस्व विभाग, उ०प्र० शासन।
- 4- वरिष्ठ, वित्त एवं लेखाधिकारी, राहत आयुक्त संगठन, उ०प्र०।
- 5- मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
- 6- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-5।
- 7- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(अरुण प्रकाश)
विशेष सचिव।

Allotment Grid Report

वित्तीय वर्ष :- 2026-2027
आवंटन दिनांक - 27/08/2026

प्रेषण संख्या :-
आवंटन आदेश संख्या :-
अनुदान संख्या :-
लेखाधीन संख्या :-

- 80
- 001-997
- 51 - राजस्व विभाग (देवी विधित्तियों के सम्बन्ध में राहत वित्तीय वर्ष 2026-2027 का आवंटन)
- 2245 - प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत (आयोजन-मत्तदेय)
- 05 - स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फण्ड
- 800 - अन्य व्यय
- 06 - स्टेट डिजास्टर रेस्पॉन्स फण्ड से व्यय (राज्यांश)
- 11 - स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड से सामान्य व्यय
- (धनराशि रु. में)

क्र.सं.	अधिकारी/जनपद का नाम		42-अन्य व्यय	योग
1	डा. राजेश भट्ट, लखनऊ-6019-40 स्टेट डिजास्टर रिस्पांश फण्ड (वित्तिय - 01-01-2026)	वर्तमान प्राप्ति	257712	257712
		वर्तमान प्राप्ति	564971822	564971822
	योग	वर्तमान प्राप्ति	257712	257712
		वर्तमान प्राप्ति	564971822	564971822

प्रमाणपत्र - (वर्तमान आवंटन) :-
प्रमाणपत्र - (प्राप्ति आवंटन) :-

रूपया दो लाख सत्तावन हजार सात सौ बारह
रूपया छपन करोड़ उनबास लाख इकत्तर हजार आठ सौ बाइस

(अरविन्द कुमार सिंह)
वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी